(ङ) राज्य को प्रत्येक परियोजना से वर्ष-वार कितना राजस्व अर्जित होने और इन परियोजनाओं की स्थापना से कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना है, और

(च) इन परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (च) इस प्रकार की प्रकृति के द्विपक्षीय समझौतों पर सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा हस्ताक्षर किये जाते हैं और इनसे सम्बंधित सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

Setting up of an oil refinery at Beena in Madhya Pradesh

1055. SHRI RAGHAVJI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Central Government has given permission for setting up an oil refinery (NEPTHA) at Beena Tehsil of Sagar District in Madhya Pradesh;

(b) if so, the action taken for installing the above said refinery alongwith the amount of money spent;

(c) by when this factory will start its production;

(d) whether it is a fact that the construction work of this factory is moving slowly; and

(e) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) to (e) Government has approved the proposal of Bharat Petroleum Corporation Limited for setting up of 6 MMTPA crude oil/lube Refinery at Bina (M.P) and related crude import facilities, Crude Oil Terminal at Vadinar and crude trnasport pipeline as a Joint Venture project between Bharat Petroleum Corporation Limited and Oman Oil Company, through a Joint Venture Company, namely, Bharat Oman Refineries Limited at an estimated cost of Rs. 5277 crores including foreign exchange component of Rs. 1686 crores. The project is expected to be mechanically completed within 42 months from the date of issue of Government approval and commissioned within 6 months after mechanical completion.

The implementation of the project is in progress and so far Rs. 17 crores have already been spent excluding the expenditure incurred by the Promoters on account of the company.

बड़ी संख्या में उद्योगों का बन्द होना

1056. **श्रीमति मालती शर्मा**: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में अनेक उद्योग बंद पड़े हैं,

(ख) यदि हां, तो उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सरकार इन उद्योगों में पहले से कार्यरत श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाने पर विचार कर रही है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम): (क) और (ख) श्रम मंत्रालय औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत यथा परिभाषित "बंदी" के बारे में सूचना एकत्र करता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबंधों के अनुसार "बंदी" का तात्पर्य रोजगार के स्थान अथवा इसके किसी भाग का स्थायी तौर पर बंद होना है। 1994-96 के दौरान बंद हुए एककों और इससे प्रभावित हुए कर्मकारों की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है (नीचे देखिए)

(ग) और (घ) सरकार ने औद्योगिक पुनर्गठन से प्रभावित हुए कर्मकार के लिए सामाजिक सुरक्षा तंत्र के रूप में राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना की है। निधि में अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक इकाइयों के पुनर्गठन और बंदी से प्रभावित कर्मकारों के पुर्नप्रशिक्षण और पुर्ननियोजन की योजनाओं के लिए सहायता की भी व्यवस्था है राष्ट्रीय नवीकरण निधि की सहायता के समूचे देश में विभिन्न एजेंसियों द्वारा बड़ी संख्या में कर्मचारी सहायता केन्द्र स्थापित किए गए हैं। उद्योगों के बंद होने के फलस्वरूप प्रभावित हुए कर्मकार, केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित की जा रही रोजगार सृजन योजनाओं का भी लाभ उठा सकते हैं।